Hospital/Year	Foreign candidates	Para Military officers	Ex-Service officers	Civilians
1997-98	3	—	09	25
1998-99	4	—	05	12
Army Research & Referral Hospital Delhi Cantt				
1995-96	—	—	09	22
1996-97	—	—	—	16
1997-98	—	—	05	07
1998-99	—	—	11	06
Command Hospital, Air Force, Bangalore				
1995-96	—	—	—	20
1996-97	—	—	—	16
1997-98	—	—	—	—
1998-99	—	—	—	—
INHS Asvini, Mumbai				
1995-96	—	—	01	34
1996-97	—	—	—	22
1997-98	—	—	02	31
1998-99	—	—	—	20

Function of Central Electricity Regulatory Commission

*109. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) from which date Central Electricity Regulatory Commission (CERC) started functioning;

(b) whether CERC is to aid and advise the Central government in the formulation of tariff policy;

(c) if so, whether the same was sought by the Government before enhancement of fixed cost charges of three Central sector power stations in the Eastern region;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether CERC is to regulate the tariff of generating companies owned or controlled by the Central Government; and

(f) if so, whether hike in NTPC tariff in eastern region was approved by CERC; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) The EVC was constituted on 24th July, 1998 and Chairperson and Members were sworn in August, 1998.

(b) Yes, Sir.

(c) to (f) The Regulatory Commission can be considered fully functional when the staff has been engaged, its rules and regulations including tariff procedures and methodology have been notified and made effective. Once this is completed, Central Government will issue a notification omitting Section 43(A) (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948 under Section 51 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 which would enable the CERC to regulate tariff for central sector generating stations. Pending issue of such notification, the Central

Government is continuing to use its power under Section 43(A) (2) of Electricity (Supply) Act, 1948 in fixation of tariff.

Control on Prices of Synthetic Yarn

*110. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether government have received a communication from the Maharashtra Government requesting to exercise control over prices of synthetic (artificial) yarn;

(b) if so, the action taken by government; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) As per available information, no such communication has been received.

(b) and (c) Do not arise.

कोयले के उत्पादन में गिरावट

*111. **प्रो॰ रामलखन सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में कोयले का वर्ष-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कौन-कौन से राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है;

(ग) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में हुए कोयले के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए है:

(मिलियन टन में)

1995-96	270.18
1996-97	286.08
1997-98	297.18

(ख) कोयला उत्पादक राज्यों के नाम निम्नलिखित है:

पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और आन्ध्र प्रदेश।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान सशस्त्र बलों की उपेक्षा किया जाना

*112 **श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रक्षा संबंधी मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सैन्य बलों की अनदेखी होती रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि सेना-प्रमुखों की सलाह ली जाती है किन्तु निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सलाह को कोई महत्व/स्थान नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; यदि नहीं, तो 6 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" के पृष्ठ संख्या 6 पर संपादकीय में "रक्षा मंत्रालय को नए ढांचे का सवाल" शीर्षक से प्रकाशित लेख पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सशस्त्र सेनाएं रक्षा स्थापना में, विशेषत: सैन्य मामलों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सशस्त्र बलों से संबंधित सभी मामलों पर विभिन्न मंचों, विशेषकर रक्षा मंत्री की समिति की माह में एक बार होने वाली बैठक तथा रक्षा मंत्री की साप्ताहिक बैठक (जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा विदेश सचिव भी आमंत्रित किए जाते है) में चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त, तीनों सेनाओं के प्रमुख सामरिक नीति समूह के सदस्य है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का एक अंग है। इन औपचारिक मंचों के अतिरिक्त तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री से नियमित रूप से मुलाकात भी करते है।